प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(युगल पीठ)

समक्ष :- **माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार श्रीवास्तव एवं**

माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा

दा०अ.क्र०- 3033/1999

अपीलार्थी :- राम, पिता – लखना,

निवासी – ग्राम – ओबारी थाना –बलरामपुर

जिला – सरगुजा, छ०ग०

बनाम

प्रत्यर्थी :- छ.ग. शासन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-	सही/-
वी.के.श्रीवास्तव	धीरेन्द्र मिश्रा
(न्यायमूर्ति)	(न्यायमूर्ति)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दा०अ.क्र०– 3033/1999

राम, पिता – लखना, निवासी – ग्राम – ओबारी थाना –बलरामपुर

जिला – सरगुजा, छ०ग० ----------**अपीलार्थी**

बनाम

छ०ग० शासन ----------**प्रत्यर्थी**

अपीलार्थी के लिए – सुश्री शर्मिला सिंघई, अधिवक्ता

शासन के लिए – श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता

युगल पीठ

माननीय न्यायमूर्ति विजय कुमार श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13/04/2006

विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश,द्वारा

1. यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत सत्र न्यायालय, सरगुजा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 273/98 में पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश दिनांक 30/09/1999 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमे माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए, उसे आजीवन कारावास तथा एक हजार रुपये अर्थदंड, तथा अर्थदंड अदा न करने की दशा में 6 माह का सश्रम कारावास से भुगतना होगा ।

2. संक्षेप में अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 28/07/1998 को रात्रि लगभग 9:30 बजे, अपीलकर्ता अपनी पत्नी के साथ चरकू के घर आया एवं उसे शराब देने को कहा। उसी समय मृतक भाकल, जो चरकू का छोटा भाई था, वहां आया। चरकू ने उन्हें शराब की एक बोतल दी। अपीलकर्ता, उसकी पत्नी एवं भाकल ने शराब पी। इसके पश्चात अपीलकर्ता अश्लील शब्द कहने लगा, जिसे चरकू एवं

मृतक भाकल ने रोका। परंतु अपीलकर्ता ने अश्लील शब्द बोलना बंद नहीं किया, इसलिए चरकू ने उसे थप्पड़ मारा एवं मृतक ने भी उस पर लकड़ी के डंडे से प्रहार किया। अपीलकर्ता अपने घर गया एवं वहां से कुल्हाड़ी लेकर आया। उस समय मृतक भाकल आंगन में खड़ा था। अपीलकर्ता ने मृतक भाकल की गर्दन पर कुल्हाड़ी से जोरदार प्रहार किया, जिससे उसे गंभीर चोट पहुची और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी।

3. चरकू उसी रात्रि को पुलिस थाना बलरामपुर गया जहाँ उसने उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच आरंभ की गई। विवेचक अरविंद तिवारी ने मृतक के शव की जाँच कर शव को शव परीक्षण हेतु भेजा।डॉ. एन.के. दत्ता ने मृतक भाकल के शव का शव परीक्षण किया, जिन्होंने अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव पर पाई गई बाह्य एवं आंतरिक चोटों का वर्णन करते हुए अभिमत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण गर्दन की मुख्य रक्त वाहिनियों के कट जाने से उत्पन्न आघात (शॉक) था, जो कि गर्दन के दाहिने भाग पर प्रहार के फलस्वरूप हुआ। मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी। विवेचक ने घटना स्थल का नक्शा भी तैयार किया, सादी मिट्टी तथा रक्त रंजित मिट्टी जब्त की। उसने अपीलकर्ता को हिरासत में लेकर उसके प्रकटीकरण साक्ष्य पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी एवं घटना के समय पहने हुए कपड़े जब्त किए। अपीलकर्ता का परीक्षण डॉ. एस.पी. बियास द्वारा किया गया, जिन्होंने तीन सतही चोटें पाईं; एक खरोंच दाहिने कंधे पर, एक खरोंच माथे पर तथा एक नीलांगुर बाएं ऊपरी भुजा पर पाया । गवाहों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए तथा जब्त किए गए वस्तुओं को न्यायालयिक विज्ञानं प्रयोगशाला भेजा गया। परीक्षण उपरांत रासायनिक विश्लेषक द्वारा यह पाया गया कि रक्त रंजित मिट्टी, अपीलकर्ता के कपड़े, कुल्हाड़ी एवं मृतक की अंडरवियर पर रक्त की उपस्थिति थी। । विवेचना उपरांत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियोगपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामानुजगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पित किया।

4. अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया तथा उसे पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोप से इनकार किया एवं स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण कर मृतक की मृत्यु

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

को मानव वध करार दिया तथा अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी ठहराते हुए दोषसिद्ध कर दण्डित किया।

5. मृतक भाकल की मृत्यु गले पर चोट लगने के परिणामस्वरूप हुई और उसकी मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी, यह तथ्य अपीलकर्ता द्वारा विवादित नहीं किया गया है। वैसे भी, डॉ. एन. के. दत्ता (अ.सा. 4) के साक्ष्य एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्र.पी.5) से यह स्थापित होता है कि मृतक भाकल के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं, जिसकी मृत्यु गर्दन के दाहिने हिस्से पर किसी धारदार वस्तु के प्रहार के परिणामस्वरूप गर्दन की मुख्य वाहिकाओं, जिसमें कैरोटिड भी शामिल है, के कटने के कारण हुए आघात के कारण हुई थी और मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी।

बाहरी चोटें:

दाहिनी ओर गर्दन पर हंसली (क्लैविकल) के ऊपर 3 इंच × 2 इंच आकार की और 2 इंच गहराई की कटी हुई चोट, जिससे दाहिनी ओर की गर्दन की मुख्य रक्तवाहिनियाँ कटी हुई। खून के थक्के उपस्थित हैं। ये चोटें मृत्युपूर्व (एण्टीमॉर्टम) प्रकृति की हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आंतरिक चोटें:

दाहिनी ओर की गर्दन में ग्रीवा धमनी (कैरोटिड आर्टरी) एवं नस तथा श्वास नली (ट्रेकिया) का कुछ भाग कटा हुआ पाया गया।

6. चरकू (अ.सा.1) तथा सम्पूर्णी बाई (अ.सा.2) चक्षुदर्शी साक्षी हैं। दोनों ने अपने कथनों में यह बताया है कि अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी वहां आए और शराब माँगे जाने पर उन्हें एक बोतल शराब प्रदान की गई। अपीलार्थी, उसकी पत्नी तथा मृतक भाकल ने शराब का सेवन किया, इसके पश्चात अपीलार्थी गाली–गलौज करते हुए झगड़ा करने लगा। चरकू ने अपीलार्थी को थप्पड़ मारा तथा मृतक ने भी उसे लकड़ी से मारा। इसके बाद अपीलार्थी अपने घर गया और वहाँ से एक कुल्हाड़ी लेकर आया तथा मृतक भाकल की गर्दन पर जोरदार वार कर चोट पहुंचाई। कुल्हाड़ी मृतक की गर्दन में धँस गई। अपीलार्थी ने कुल्हाड़ी मृतक की गर्दन से निकाल ली और कुल्हाड़ी के साथ घटनास्थल से फरार हो गया। मृतक भाकल ने उक्त चोट के फलस्वरूप तत्काल दम तोड़ दिया। चरकू (अ.सा.1) तथा सम्पूर्णी बाई (अ.सा.2) की

मौखिक गवाही प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.1) से पुष्ट होती है, जिसे गवाह चरकू (अ.सा.1) तथा विवेचक अरविन्द तिवारी (अ.सा.5) द्वारा प्रमाणित किया गया है। उक्त रिपोर्ट घटना के तुरंत बाद दर्ज की गई थी। मौखिक साक्ष्य की डॉ. एन.के. दत्ता के चिकित्सकीय साक्ष्य तथा अन्य साक्ष्यों से भी पुष्टि होती है।

7. प्रदर्श.पी.–14 अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण साक्ष्य का कथन है। प्रदर्श.पी.–15 जप्ती पत्रक है जिसके माध्यम से अपीलार्थी की निशानदेही पर एक गमछा, एक बनियान तथा एक कुल्हाड़ी जप्त की गई थी। इन दोनों दस्तावेजों को विवेचना अधिकारी अरविंद तिवारी (अ.सा.5) द्वारा सिद्ध किया गया है।

डॉ. एन.के. दत्ता (अ.सा.4) के साक्ष्य से यह भी स्थापित होता है कि जप्त कुल्हाड़ी परीक्षण हेतु भेजी गई थी, जिन्होंने परीक्षण उपरांत यह राय दी कि मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें इस प्रकार के हथियार से कारित हो सकती हैं। अरविंद तिवारी (अ.सा.5) के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि समस्त जब्त की गई वस्तुएं परीक्षण हेतु रासायनिक विश्लेषण के लिए प्रदर्श.पी.–19 के माध्यम से भेजी गई थीं। प्रदर्श.पी.–20 रासायनिक विश्लेषक की प्राप्त रिपोर्ट है। रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के प्रकटीकरण साक्ष्य के कथन के आधार पर बरामद कुल्हाड़ी, गमछा एवं बनियान पर रक्त के धब्बे पाए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. चरकू (अ.सा.1) एवं सम्पूर्णी बाई (अ.सा.2) के मौखिक साक्ष्य में कोई भी दौर्बल्य परिलक्षित नहीं होती। अतः, उनका कथन जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, चिकित्सीय साक्ष्य एवं अपीलार्थी के कपड़ों तथा जप्त कुल्हाड़ी पर पाए गए रक्त के धब्बों की परिस्थिति से समर्थित है, पूर्णतः विश्वसनीय है, जिससे यह सिद्ध होता है कि मृतक भाकल की गर्दन पर जो चोट आई वह अपीलार्थी द्वारा पहुंचाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई।

9. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दत्तु शरम राव वलके एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 2331; मंके राम बनाम हरियाणा राज्य, ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 4147; भेरा बनाम राजस्थान राज्य, (2000) 10 एस.सी.C 225; तथा कुन्हैयप्पु बनाम केरल राज्य, (2000) 10 एस.सी.C 307** में प्रदत्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता द्वारा केवल एक ही चोट पहुंचाई गई थी, जो गंभीर और अचानक प्रकोपन के परिणामस्वरूप क्षणिक आवेश में की गई थी। अतः उनका मामला भा.दं.सं. की धारा 304 के भाग दो के अंतर्गत आता

है। इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता अपने ही घर से एक घातक हथियार कुल्हाड़ी लेकर आया और दोनों हाथों से कुल्हाड़ी को पकड़कर मृतक की गर्दन पर जोरदार वार किया, जिसके परिणामस्वरूप मृतक को घातक चोट लगी और उसकी तत्काल मृत्यु हो गयी। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का सम्यक मूल्यांकन कर अपीलकर्ता को भाकल की मृत्यु हेतु साशय हत्या करने का दोषी माना।

10. उपरोक्त सभी निर्णय जिन पर अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने भरोसा किया, वे वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न हैं। प्रस्तुत मामले में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अपीलकर्ता, उसकी पत्नी और मृतक भाकल ने मिलकर शराब का सेवन किया तथा इसके पश्चात अपीलकर्ता ने गाली–गलौच और अश्लील शब्दों का प्रयोग प्रारंभ किया, जिसका विरोध चरकू (अ.सा.1) ने किया। इसके बावजूद अपीलकर्ता लगातार गाली देता रहा, इसलिए चरकू (अ.सा.1) ने उसे थप्पड़ मारा। मृतक भाकल ने हस्तक्षेप करते हुए अपीलकर्ता पर डंडे से प्रहार किया। वहाँ से अपीलकर्ता अपने घर गया और एक घातक हथियार कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेकर चरकू के घर आया । भाकल आंगन में खड़ा था। अपीलकर्ता ने मृतक की गर्दन पर घातक धारदार कुल्हाड़ी से जोरदार प्रहार किया। कुल्हाड़ी का तेज भाग मृतक की गर्दन में घुस गया, जिससे थायरॉइड, कैरोटिड एवं गर्दन की मुख्य रक्त नलिकाएं कट गई। अपीलकर्ता ने कुल्हाड़ी वहीं नहीं छोड़ी, बल्कि उसे निकालकर मौके से फरार हो गया। मृतक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राजस्थान राज्य बनाम धूल सिंह,** AIR 2004 SCW 24 के निर्णय में अनुच्छेद 13 में यह अवलोकन किया है:

> 13. चोटों की संख्या असंगत है। आशय ज्ञात करने का निर्धारक तत्व केवल यह नहीं है। चोट का प्रकार, शरीर का वह भाग जिसपे चोट पहुचांई गयी, एवं चोट पहुंचाने में प्रयुक्त हथियार —— ये सभी इस बात के संकेतक हैं कि आरोपी ने मृतक की मृत्यु किस आशय से की। इस मामले में, यद्यपि केवल एक वार किया गया था, परंतु वह वार गर्दन जैसे संवेदनशील अंग पर लगभग 3 फीट लंबे धारदार हथियार से किया गया, जिससे मृतक की शिरा, धमनी और मांसपेशियाँ कट गई तथा उसकी मृत्यु तत्काल हो गई। कोई भी सामान्य व्यक्ति यह समझ सकता है कि इस प्रकार के शरीर भाग पर धारदार हथियार से वार करने का परिणाम मृत्यु ही होगा। ऐसी चोट न केवल हमलावर के आशय को दर्शाती है, बल्कि यह भी कि हमलावर

को इस प्रकार के हमले से होने वाले परिणामों की जानकारी थी, जो और कुछ नहीं बल्कि मृत्यु ही हो सकता था।

12. वर्तमान मामले में भी तथ्यों की स्थिति समान है। अतः यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ता ने मृतक की मृत्यु करने के आशय से उस पर कुल्हाड़ी से गर्दन पर जोरदार वार किया। न केवल आशय, बल्कि अपीलकर्ता को इस हमले के परिणाम की पूर्ण जानकारी भी थी, जो मृतक भाकल की मृत्यु के सिवाय कुछ नहीं हो सकता था। अपीलकर्ता ने शराब सेवन के बाद गाली–गलौच प्रारंभ किया, जिसे चरकू ने रोका और जब अपीलकर्ता नहीं संभला तब चरकू द्वारा थप्पड़ मारा गया, तथा मृतक ने डंडे से मारा। अपीलकर्ता को बहुत ही सतही चोट लगी एवं वह अपने घर गया और वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर चरकू के घर आया तथा जब उसने भाकल को आंगन में खड़े देखा, तो गर्दन पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। प्रहार इतना गंभीर था कि मृतक ने तत्काल दम तोड़ दिया। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने यह हमला न तो अचानक और गंभीर प्रकोपन के परिणामस्वरूप किया और न ही क्षणिक आवेश में, बल्कि यह एक पूर्वनियोजित एवं सुनियोजित हमला था। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता ने अनुचित लाभ उठाते हुए क्रूर एवं असामान्य ढंग से आचरण किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के आधार पर, हम इस विचार पर पहुँचते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा की गई मृत्यु हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का सम्यक परीक्षण कर यह सही ठहराया कि अपीलकर्ता ने भाकल की साशय मृत्यु कारित की, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। दोषसिद्धि का निर्णय एवं सत्र न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश किसी भी प्रकार की अवैधता या दौर्बल्य से ग्रसित नहीं है, अतः इसकी पुष्टि किया जाना उचित है।

14. मामले के समापन से पूर्व, हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि जब भी जब्त की गई वस्तुएं रासायनिक परीक्षण हेतु न्यालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजी जाती हैं, और उनकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, तो रिपोर्ट की स्वीकृति की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 तथा आपराधिक नियमों एवं आदेशों के नियम 207 में निर्धारित किया गया है बजाय इसके कि रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त की जाये, जो विवेचना अधिकारी के साक्ष्य के द्वारा प्रदर्शित की गयी हो । यदि उचित प्रक्रिया अपनाए बिना दस्तावेज़ को स्वीकार किया गया और

अभियोजन पक्ष ने उसका उपयोग समर्थन हेतु किया, और यदि आरोपी द्वारा इस पर आपत्ति की जाती है, तो यह अभियोजन की कहानी को प्रभावित कर सकता है। यह भी देखा गया है कि रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट अथवा सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट के माध्यम से अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत परिस्थितियों की व्याख्या करते समय अभियुक्त को प्रतिकूल रिपोर्ट पर आपत्ति जताने का अवसर नहीं दिया जाता, और इन रिपोर्टों का अभियुक्त के विरुद्ध उपयोग किया गया है। ऐसी प्रक्रिया न तो उचित है और न ही वैध।

15. इस तथ्य को सत्र न्यायाधीशों तथा अन्य दांडिक न्यायालयों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देशित किया जाता है कि वह इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएँ।

16. परिणामस्वरूप, यह अपील असफल होती है तथा निरस्त की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
वी.के.श्रीवास्तव
(न्यायमूर्ति)

सही/–
धीरेन्द्र मिश्रा
(न्यायमूर्ति)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By – Adv Tarandeep Singh Gumber